

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश स्टेट अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउन्सिल ने शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए अलाइड एण्ड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों के संबंध में नोटिस सं० 12/UPSAHC/2026–27 दिनांक 24 अप्रैल 2026 के अनुसार, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एवं डिप्लोमा इन लैब टेकनीशियन पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी गयी है।

अतः आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउन्सिल द्वारा संस्थान को अग्रिम आधिकारिक सूचना प्राप्त होने तक संस्थान स्तर पर उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु सभी फार्म पर रोक लगा दिया गया है। यदि पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने के संबंध में कोई अद्यतन सूचना प्राप्त होती है, तो उसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी तथा फार्म उपलब्ध कराना पुनः प्रारंभ किया जायेगा। अन्यथा पहले से बिक्री हो चुके फार्म के शुल्क को विद्यार्थियों को वापस कर दिया जायेगा।